बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में देश के अन्य राज्यों की तुलना में चार गुणा कम कॉलेज हैं। राज्य में प्रति लाख आबादी पर मात्र 7 कॉलेज हैं, यानि औसत से चार गुणा कम है। आबादी की तुलना में कम कॉलेज होने के चलते कॉलेजों में 1686 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं तथा कॉलेजों में विषयवार शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षक-छात्र का अनुपात कम होता जा रहा है। कॉलेजों में शिक्षकों छात्रों का अनुपात कम रहने के कारण दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं का दाखिला वित्तरहित कॉलेजों में हो रहा है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी से छात्र-छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में राज्य के छात्र-छात्राओं की बढ़ती आबादी को देखते हुए कॉलेजों की संख्या बल बढ़ाने हेतु स्थायी संबद्धता प्राप्त वित्तरहित कॉलेजों का अधिग्रहण करने के लिए सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- वीरेन्द्र नारायण यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-269/2018- 2518 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 26.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 26.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हेतु तालीमी मरकज़ योजना प्रारंभ की गई थी जो सरकार की अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना है। वर्ष 2008 के नियमावली के अनुसार कई जिलों में मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण मुस्लिम सामान्य जाति के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। सम्पूर्ण राज्य में ऐसे चयनितों की संख्या लगभग 300 (तीन सौ) है। अब नई मार्ग निर्देशिका के लागू होने के फलस्वरूप उन चयनितों को सेवा से हटा दिया गया, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश की तो अन्यत्र नौकरी की उम्र भी समाप्त हो गई है।

अत: मैं सदन में सरकार से हटाए गए लोगों के अन्यत्र समायोजन के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सी. पी. सिन्हा
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-270/2018- 2519 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 26.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 26.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए श्री सुकदेव साह, पिता स्व. भंगी साह, ग्राम-बनकट, अरेराज, पूर्वी चम्पारण की 17 कट्ठा जमीन अधिग्रहित की गई जिसका खाता नं.- 159 व खेसरा नं.- 838 है। श्री सुकदेव साह को इसकी नोटिस भी मिली। परन्तु मुआवजा की कुल राशि 2 करोड़ 49 लाख 61 हजार 728 रुपये एवं 25 अप्रैल को 55 लाख 66 हजार 272 रुपये एवं 27 जुलाई, 2018 को फर्जी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम खाता खुलवाकर देना बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिए गए। अब तक असली सुकदेव साह को जमीन मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है लेकिन अब तक न तो फर्जी भुगतान की राशि वसूली हुई है, न ही दोषी को सजा दी गयी है। जिला प्रशासन के कतिपय पदाधिकारियों की मिलीभगत की खबर भी सामने आ रही है।

अत: ध्यानाकर्षण के माध्यम से श्री सुकदेव साह को जमीन का पूरा-पूरा मुआवजा (सूद सहित) शीघ्रातिशीघ्र दिलाने, फर्जी भुगतान की राशि वसूल करने एवं दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने के संबध में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता, स0वि0प0 एवं
ह0/- खालिद अनवर, स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-272/2018- 2524 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 27.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मुजफ्फरपुर जिला में वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अंतर्गत कुल 60 योजनाएं ली गई थीं। इनमें मात्र 54 योजनाओं पर कार्य कराया गया। शेष योजनाएं कतिपय कारणों से स्थगित हो गई। ली गई योजनाओं के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रथम किस्त के रूप में पचास प्रतिशत राशि विमुक्त की गई थी। विमुक्त राशि का डी.सी. विपत्र महालेखाकार, पटना के यहां समायोजन हेतु जमा भी करा दिया गया है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-723 दिनांक- 31.07.2017 से अवशेष राशि की मांग के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं.-111 (एस) पटना, दिनांक- 27.11.2017 द्वारा 4,21,74,751/- रुपये का आवंटन जिला को उपलब्ध करा दिया गया था। सभी योजनाओं की जांच भी जिला स्तरीय कमिटी द्वारा कराने के बाद ही अवशेष राशि की मांग की गई थी। परन्तु संवेदकों के भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करते हुए जिला पदाधिकारी के विभागीय पत्रांक- 232(5) दिनांक- 31.03.2018 द्वारा पूरी राशि प्रत्यर्पित कर दी गई। प्रत्यर्पण को लगभग 8 महीने बीत गए हैं परन्तु पथ निर्माण विभाग ने जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को राशि भेजने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है।

अत: मैं सरकार से सदन में उक्त प्रत्यर्पित राशि को पुन: जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भेजने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिनेश प्रसाद सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-277/2018- 2527(1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 27.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 27.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेगूसराय जिला के तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत आधारपुर त्रिमुहानी से प्रारंभ होकर मधुरापुर, जयनगर, कसहा, बरियाही होते हुए चकिया रेलवे लाइन तक गंगा किनारे अवस्थित तटबंध पर 18 कि.मी. लंबाई में निर्मित सड़क बजलपुरा, मधुरापुर, ओझा टोल, निपनियां, बारो, जयनगर, अमरपुर, गंगा प्रसाद, रूपनगर आदि गांवों में बसे ग्रामीण के लिए जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय जाने हेतु एक प्रमुख सम्पर्क पथ है। परन्तु इस पथ की चौड़ाई कम होने एवं कई स्थलों पर काफी खराब रहने की स्थिति में ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं आधारपुर त्रिमुहानी से कसहा बरियाही, चकिया रेलवे लाइन तक तटबंध की चौड़ाई बढ़ाते हुए चौड़ी सड़क के निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- रणवीर नन्दन
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-279/2018- 2528 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 27.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत 67 शिक्षकों के अनुदान एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत 39 शिक्षकों का वेतनादि का भुगतान वर्ष 2011 से लंबित है। विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से इनके भुगतान की प्रक्रिया पूरी करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बजट में इनके नाम से राशि का उपबंध भी किया गया। सभी शिक्षक स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि आजतक इन शिक्षकों का अनुदान/ वेतन भुगतान नहीं हो सका है। इनके समक्ष घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गयी है। ये भूखमरी के शिकार हो रहे हैं।

अत: मैं सरकार से सदन में इनके बकाये अनुदान/ वेतनादि के भुगतान के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिलीप कुमार चौधरी
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-264/2018- 2505 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 23.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण;बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार के लगातार प्रयास किए जाने के फलस्वरूप बी.सी.सी.आई. के द्वारा लंबे समय के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता प्रदान किया गया। वर्तमान में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव एवं चयन समिति के अध्यक्ष के द्वारा जूनियर क्रिकेट टीम के चयन में मनमाने मापदंड अपनाते हुए तथा बी.सी.सी.आई, को गुमराह कर पैरवी पुत्रों का चयन, अच्छे खिलाडियों को दरकिनार कर किये जाने से बिहार की छवि धुमिल हुई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त अनियमितता के कारण मान्यता भी खतरे में पड़ने की संभावना है, जिससे राज्य के खिलाडियों का भविष्य पुन: खराब हो जायेगा।

अत: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलने के पश्चात् सम्पूर्ण कार्यकाल की जांच माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश से कराये जाने तथा राज्य की गरिमा बचाये रखने के दृष्टिकोण से बी.सी.सी.आई. के तर्ज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को भंग कर माननीय उच्च न्यायालय से सेवानिवृत न्यायाधीश की देखरेख में कार्य का निष्पादन करने के संबंध में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- रीना देवी उर्फ रीना यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-263/2018- 2504 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 23.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

23.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के द्वारा आर. लाल महाविद्यालय, अलीनगर, नालंदा में पूर्णशासी निकाय के गठन-हेतु ज्ञापांक- 65/जी. ।।। बी/18, दिनांक- 28.03.2018 के द्वारा डॉ. जितेन्द्र कुमार, स्थानीय विधायक, अस्थावां, नालंदा को जनप्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किया गया। दिनांक- 16.04.2018 को शिक्षाविद् सदस्य को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा अधीसूचना सं.- 163/पी.पी.यू./18 के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा अन्य महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी गई और वहां पूर्णशासी निकाय का गठन हो गया। इस बीच आर.लाल महाविद्यालय, अलीनगर नालंदा में गलत तरीके से नियम के विरूद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा (पी.पी.यू, पत्र सं.- 556/18) तदर्थ समिति गठित कर दी गई है।

अत: मैं विश्वविद्यालय के द्वारा बनाये गये तदर्थ समिति (पी.पी.यू, पत्र सं.- 556/18) को अविलंब रद्द कर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की नियुक्ति का आदेश देने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुनील कुमार सिंह, स0वि0प0 एवं
ह0/- वीरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-262/2018- 2503 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 23.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

23.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, सारण की सम्बद्ध इकाई लोक महाविद्यालय, हाफिजपुर, सारण में 8 हजार से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इस महाविद्यालय में सिवान, गोपालगंज एवं मोतिहारी जिले के छात्र भी नामांकन लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षण कार्य को बेहतर संचालित करने के लिए आर्थिक रूप से सबल होना भी आवश्यक है। इस महाविद्यालय में सत्र 2008-11 से सत्र 2015-18 तक का अनुदान की राशि नहीं दी गयी है। जिसके कारण शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अत: मैं सरकार से उक्त महाविद्यालय में अनुदान की राशि उपलब्ध कराने तथा अनुदान की राशि महाविद्यालय को देने में अनावश्यक विलंब करने में दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सच्चिदानन्द राय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-261/2018- 2502 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 धारा-3 (4) के अन्तर्गत सारी शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालय अनुशंसित एवं अधिगृहित हो चुके हैं जो वेतन भुगतान के लिए सारी शर्तों को पूरा करते हैं। 500 विद्यालयों के लिए अध्यादेश सं.- 1167, दिनांक- 02.05.1980, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें से 110 विद्यालयों का 1980-84 के बीच वेतन भुगतान किया गया शेष 390 विद्यालयों में से 21 विद्यालय झारखंड राज्य में चले गये और उसी में से 06 विद्यालयों का वेतन भुगतान हो रहा है इसी सूची में हरिजन विद्यालय-17 अल्पसंख्यक विद्यालय-10 तथा कन्या विद्यालयों की संख्या-54 है। शेष 364 विद्यालयों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक में दिनांक- 13.12.1989 को रखा एवं दिनांक- 16.01.1990 को अधिग्रहण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

अत: शेष 364 विद्यालयों का वेतन भुगतान करने की कार्रवाई हेतु मैं सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- गुलाम रसूल बलियावी
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-260/2018- 2501 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

राज्य के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय (इन्टर महाविद्यालय) एवं संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के कई वर्षों के बकाये अनुदान हेतु विभागीय स्तर पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों के अनुदान राशि का बजटीय उपबंध वर्ष 2014 तक का ही है जबकि वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 के अनुदान राशि से कई संस्थान अभी तक वंचित है। डिग्री महाविद्यालय के अनुदान राशि का भी बजटीय उपबंध मात्र वर्ष 2011 तक का ही है। विभाग और विश्वविद्यालय में कोई समन्वय नहीं होने से स्थिति और भी बदतर है। इस प्रकार संबंधित सभी शिक्षण संस्थान के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर कर्मी न्याय की बाट जोह रहे हैं।

संस्थानों के आंतरिक श्रोत में शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों की भागीदारी तथा घाटानुदान की व्यवस्था लागू करने के बारे में सरकार प्रयत्नशील नहीं है। ऐसे संस्थानों की आधारभूत संरचना में वृद्धि हेतु भी सरकार का आज तक कोई योगदान नहीं है जबकि इन्हीं संस्थानों के कारण राज्य का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) बेहतर है।

अत: उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं कि क्या वह प्रस्तावित अनुपूरक बजट में सभी बकाये अनुदान की राशि को समाहित कर घाटानुदान की व्यवस्था लागू करना चाहती है?

ह0/- संजय कुमार सिंह, स0वि0प0
ह0/- संजीव कुमार सिंह, स0वि0प0
ह0/- केदार नाथ पाण्डेय, स0वि0प0 एवं
ह0/- संजीव श्याम सिंह, स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-259/2018- 2500 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 30.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्